मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ- 2-2 /2009/नियम/चार, भोपाल,दिनांक 20 अक्टूबर,2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष,राजस्व मंडल,ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषयः-खोले गये बैंक खातों के शेष का रोकड़ पुस्तक में दर्शाये शेष के साथ मिलान।

--00--

विभिन्न शासकीय कार्यालयों में वित्त विभाग की अनुमति से तथा राज्य के निगम, मंडल, सरकारी संस्थाएं, बोर्ड के कार्यालयों में बैंक खाते खोलकर राशि जमा की जाती है। राज्य शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि इन खातों का बैंक से रिकंसिलिएशन समय-समय पर नहीं कराया जा रहा है। इसके कारण बैंक खातों में दर्शाये शेष का रोकड़ पुस्तक में दर्शाये बैंक शेष के साथ मिलान नहीं होता है, जिससे गंभीर वित्तीय अनियमितताएं होने की संभावनाएं बनी रहती है।

2/ अतः निर्णय लिया गया है कि जिन अधिकारियों के पदनाम से बैंक खाते खोले गये है, वह इन बैंक खातों में दर्ज शेष राशि का मिलान त्रैमासिक रूप से रोकड़ पुस्तक में दर्ज शेष राशि की प्रविष्टि से करें एवं रोकड़ पुस्तिका में निम्नानुसार प्रमाण पत्र अंकित करें :-

"प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक ---------को बैंक खाता क्रमांक---------में दर्ज शेष (Balance) राशि का रोकड़ पुस्तक में दर्ज शेष राशि से मिलान किया गया। इस मिलान में रूपये---------का अंतर पाया गया।

दिनांक---------

आहरण एवं संवितरण अधिकारी

(नाम एवं पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर) "

3/ बैंक खाते का संचालन करने वाले अधिकारी का यह दायित्व होगा कि बैंक व्दारा दिये गये ब्याज अथवा अन्य आय/व्यय संबंधी जानकारी को भी रोकड़ पुस्तक में समय-समय पर दर्ज करायें, ताकि प्रमाण पत्र के समय रोकड़ पुस्तक का शेष एवं बैंक का शेष एक समान हो सके।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(जी.पी.सिंघल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग

sunita/68*//paripat/

10/14/2009

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 2-2/2009/नियम/चार भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर, 2009

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी / आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव / सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(डी.के. सक्सैना)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग